# कार्यालय : जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक शिक्षा), अल्मोड़ा।

आदेश संख्या – 413 /प्रा0शि0/स्थानान्तरण/4(2)14/2026–27 दिनांक 27 अगस्त 2026

**अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश**

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक सेवायें–3/06/3350–54/वार्षिक स्था0/2026–27 दिनांक 14 जुलाई 2026 एवं शासन के पत्रांक 410893/XXX-B-1/2026/13(12)/2011 TC-1 दिनांक 07.07.2026 के अनुपालन में गठित जनपदीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा –17(1)(ख) की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद अल्मोड़ा के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित **सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय** को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति **(गम्भीर रूप से रोगग्रस्त/अक्षम कर्मियों द्वारा स्वयं, पति/पत्नी, माता –पिता, विवाहित विधवा महिला कर्मियों के सास ससुर एवं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की गम्भीर रोगग्रस्तता/अक्षमता के आधार पर अनुरोध)** उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ–5 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। **साथ ही एकल अध्यापकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक प्रतिस्थानी के कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे।**

| क्र0 स0 | शिक्षक/शिक्षिका का नाम | पदनाम | वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | श्रीमती मीनाक्षी | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 मेलगॉव, धौलादेवी | रा0प्रा0वि0 गोपालधारा, हवालबाग |
| 02 | सबिहा नाज | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 बासुलीसेरा, द्वाराहाट | रा0प्रा0वि0 पन्याली नवीन , ताडीखेत |

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा –17(1)(ख) में निहित प्रावधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:–

(1) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

(2) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(2) स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थनान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण ओदश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

(4) स्थानान्तरित शिक्षकों का माह सितम्बर 2026 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

(डॉ रवि मेहता)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा।

Scanned with OKEN Scanner

पृष्ठांकन संख्या– 2726-33 /प्रा0शि0/स्थानान्तरण/4(2)14/2026–27 दिनांक उक्तवत्।

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित–**

1. जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा।
5. मुख्य कोषाधिकारी/संबधित कोषागार, अल्मोड़ा।
6. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को उक्त शिक्षकों के आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की वे संबधित शिक्षको को आदेश प्राप्त कराते हुए प्राप्ति रसीद कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखे।
7. उप शिक्षा अधिकारी द्वाराहाट को इस आशाय से प्रेषित कि गम्भीर रूप से रोगग्रस्त/अक्षम कर्मियों द्वारा स्वयं, पति/पत्नी, माता –पिता, विवाहित विधवा महिला कर्मियों के सास ससुर एवं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की गम्भीर रोगग्रस्तता/अक्षमता के आधार पर **सम्बन्धित अध्यापक द्वारा शपथ पत्र एवं परिवार रजिस्टर की नकल प्रस्तुत करने के उपरान्त ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।**
8. संबधित शिक्षक।
9. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा।

Scanned with OKEN Scanner

# कार्यालय : जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक शिक्षा), अल्मोड़ा।

आदेश संख्या – 515 /प्रा0शि0/स्थानान्तरण/4(2)14/2026–27 दिनांक 27 अगस्त 2026

**अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण**

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक सेवायें–3/06/3350–54/वार्षिक स्था0/2026–27 दिनांक 14 जुलाई 2026 एवं शासन के पत्रांक 410893/XXX-B-1/2026/13(12)/2011 TC-1 दिनांक 07.07.2026 के अनुपालन में गठित जनपदीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा –17(1)(ख) की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद अल्मोड़ा के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित **प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय** को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में **(उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल/क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध)** उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ–5 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। **साथ ही एकल अध्यापकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक प्रतिस्थानी के कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे।**

| क्र0 स0 | शिक्षक/शिक्षिका का नाम | पदनाम | वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | श्रीमती तारा आर्या | प्र0अ0 | रा0प्रा0वि0 कोट्यूडा, ताकुला | रा0प्रा0वि0 स्यालीधार, हवालबाग |

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–22 में निहित प्रावधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगीः–

(1) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

(2) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(3) स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थनान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण ओदश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

(4) स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई 2019 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

(डॉ रवि मेहता)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा।

Scanned with OKEN Scanner

पृष्ठांकन संख्या– 2734–412 /प्रा0शि0/स्थानान्तरण/4(2)14/2026–27 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित–

1. जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा।
5. मुख्य कोषाधिकारी/संबधित कोषागार, अल्मोड़ा।
6. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को उक्त शिक्षकों के आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की वे संबधित शिक्षको को आदेश प्राप्त कराते हुए प्राप्ति रसीद कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखे।
7. संबधित शिक्षक को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।
8. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा।

Scanned with OKEN Scanner

# कार्यालय : जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक शिक्षा), अल्मोड़ा।

आदेश संख्या – 415 /प्रा0शि0/स्थानान्तरण/4(2)14/2026–27 दिनांक 27 अगस्त 2026

**अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण**

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक सेवायें–3/06/3350–54/वार्षिक स्था0/2026–27 दिनांक 14 जुलाई 2026 एवं शासन के पत्रांक 410893/XXX-B-1/2026/13(12)/2011 TC-1 दिनांक 07.07.2026 के अनुपालन में गठित जनपदीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा –17(1)(ख) की सुसंगत धाराओं में निहित प्रावधानानुसार जनपद अल्मोड़ा के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित **सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय** को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में **(उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल/क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध)** उसी पद एवं वेतनकम में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ–5 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। **साथ ही एकल अध्यापकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक प्रतिस्थानी के कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे।**

| क्र0 स0 | शिक्षक/शिक्षिका का नाम | पदनाम | वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | श्री देवेश जोशी | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 अभ्याड़ी, ताड़ीखेत | रा0प्रा0वि0 कुरचौन, हवालबाग |

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–22 में निहित प्रावधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगीः–

(1) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

(2) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(3) स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थनान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण ओदश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

(4) स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई 2019 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

(डॉ रवि मेहता)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा।

Scanned with OKEN Scanner

पृष्ठांकन संख्या– 2743–49 /प्रा0शि0/स्थानान्तरण/4(2)14/2026–27 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित–

1. जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा।
5. मुख्य कोषाधिकारी/संबधित कोषागार, अल्मोड़ा।
6. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को उक्त शिक्षकों के आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की वे संबधित शिक्षको को आदेश प्राप्त कराते हुए प्राप्ति रसीद कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखे।
7. संबधित शिक्षक को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।
8. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा।

Scanned with OKEN Scanner

# कार्यालय : जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक शिक्षा), अल्मोड़ा।

आदेश संख्या – 416 /प्रा0शि0/स्थानान्तरण/4(2)14/2026–27 दिनांक 27 अगस्त 2026

**अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण**

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक सेवायें–3/06/3350–54/वार्षिक स्था0/2026–27 दिनांक 14 जुलाई 2026 एवं शासन के पत्रांक 410893/XXX-B-1/2026/13(12)/2011 TC-1 दिनांक 07.07.2026 के अनुपालन में गठित जनपदीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा –17(1)(ख) की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद अल्मोड़ा के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित **सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय** को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में **(उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल/क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध)** उसी पद एवं वेतनकम में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ–5 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। **साथ ही एकल अध्यापकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक प्रतिस्थानीय के कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे।**

| क्र0 स0 | शिक्षक/शिक्षिका का नाम | पदनाम | वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | श्रीमती निर्मला राज | स0अ0 | रा0उ0प्रा0वि0 तलचौना, धौलादेवी | रा0उ0प्रा0वि0 नौला, हवालबाग |

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–22 में निहित प्रावधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:–

(1) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

(2) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(3) स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थनान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण ओदश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

(4) स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई 2019 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

(डॉ रवि मेहता)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा।

Scanned with OKEN Scanner

पृष्ठांकन संख्या– 2750-56 /प्रा0शि0/स्थानान्तरण/4(2)14/2026–27 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित–

1. जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा।
5. मुख्य कोषाधिकारी/संबधित कोषागार, अल्मोड़ा।
6. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को उक्त शिक्षकों के आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की वे संबधित शिक्षको को आदेश प्राप्त कराते हुए प्राप्ति रसीद कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखे।
7. संबधित शिक्षक को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।
8. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा।

Scanned with OKEN Scanner

# कार्यालय : जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक शिक्षा), अल्मोड़ा।

आदेश संख्या – 417 /प्रा0शि0/स्थानान्तरण/4(2)14/2026–27 दिनांक 27 अगस्त 2026

**अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण**

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक सेवायें–3/06/3350–54/वार्षिक स्था0/2026–27 दिनांक 14 जुलाई 2026 एवं शासन के पत्रांक 410893/XXX-B-1/2026/13(12)/2011 TC-1 दिनांक 07.07.2026 के अनुपालन में गठित जनपदीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा –17(1)(ख) की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद अल्मोड़ा के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित **प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय** को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में **(विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा कार्मिक तथा वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा अनुरोध)** उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ–5 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। **साथ ही एकल अध्यापकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक प्रतिस्थानी के कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे।**

| क्र0 स0 | शिक्षक/शिक्षिका का नाम | पदनाम | वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | श्रीमती सीमा बिष्ट | प्र0अ0 | रा0प्रा0वि0 गल्ली, हवालबाग | रा0प्रा0वि0 फडका, हवालबाग | वरिष्ठ कार्मिक |
| 02 | श्री देवेन्द्र आर्या | प्र0अ0 | रा0प्रा0वि0 बगड़ी, चौखुटिया | रा0प्रा0वि0 अगनेरी, चौखुटिया | वरिष्ठ कार्मिक |
| 03 | श्रीमती प्रेमा बिष्ट | प्र0अ0 | रा0प्रा0वि0 कड़ाकोट, ताड़ीखेत | रा0प्रा0वि0 ढटवालगॉव, हवालबाग | वरिष्ठ कार्मिक |
| 04 | श्री इन्द्र सिंह कनवाल | प्र0अ0 | रा0प्रा0वि0 नौघरिया, भिकियासैण | रा0प्रा0वि0 खेर्दा लमगड़ा | वरिष्ठ कार्मिक |

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–22 में निहित प्रावधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:–

(1) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

(2) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(3) स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थनान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण ओदश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

(4) स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई 2019 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

(डॉ रवि मेहता)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा।

Scanned with OKEN Scanner

पृष्ठांकन संख्या– 2757-65 /प्रा0शि0/स्थानान्तरण/4(2)14/2026–27 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित–

1. जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा।
5. मुख्य कोषाधिकारी/संबधित कोषागार, अल्मोड़ा।
6. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को उक्त शिक्षकों के आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की वे संबधित शिक्षको को आदेश प्राप्त कराते हुए प्राप्ति रसीद कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखे।
7. संबधित शिक्षक को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।
8. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा।

# कार्यालय : जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक शिक्षा), अल्मोड़ा।

आदेश संख्या – 418 /प्रा0शि0/स्थानान्तरण/4(2)14/2026–27 दिनांक 27 अगस्त 2026

**अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण**

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक सेवायें–3/06/3350–54/वार्षिक स्था0/2026–27 दिनांक 14 जुलाई 2026 एवं शासन के पत्रांक 410893/XXX-B-1/2026/13(12)/2011 TC-1 दिनांक 07.07.2026 के अनुपालन में गठित जनपदीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा –17(1)(ख) की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद अल्मोड़ा के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित **सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय** को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में **(विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा कार्मिक तथा वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा अनुरोध)** उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ–5 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। **साथ ही एकल अध्यापकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक प्रतिस्थानी के कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे।**

| क्र0 स0 | शिक्षक/शिक्षिका का नाम | पदनाम | वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | श्रीमती अंजना कुंवर | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 रतखान, लमगड़ा | रा0प्रा0वि0 तलाड़, हवालबाग | विधवा |
| 02 | श्री प्रकाश चन्द्र पाण्डे | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 सतराली, ताकुला | रा0प्रा0वि0 जैंचोली, ताकुला | वरिष्ठ कार्मिक |
| 03 | श्रीमती मीनाक्षी पांगती | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 पलना, लमगड़ा | रा0प्रा0वि0 स्यालीधार, हवालबाग | विधवा |
| 04 | श्री हयात सिंह गैड़ा | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 गिरचोला, धौलादेवी | रा0प्रा0वि0 उड़ियारी हवालबाग | वरिष्ठ कार्मिक |
| 05 | श्री अशोक कुमार | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 पीनाकोट, सल्ट | रा0प्रा0वि0 श्रीकोट, भिकियासैण | वरिष्ठ कार्मिक |
| 06 | श्रीमती भारती भट्ट | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 जाजर, धौलादेवी | रा0प्रा0वि0 बख हवालबाग | विधवा |

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–22 में निहित प्रावधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:–

(1) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

(2) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(3) स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थनान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण ओदश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

(4) स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई 2019 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

(डॉ रवि मेहता)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा।

Scanned with OKEN Scanner

पृष्ठांकन संख्या– 2766-74 /प्रा०शि०/स्थानान्तरण/4(2)14/2026–27 दिनांक उक्तवत्।

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित–**

1. जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा।
5. मुख्य कोषाधिकारी/संबधित कोषागार, अल्मोड़ा।
6. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को उक्त शिक्षकों के आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की वे संबधित शिक्षको को आदेश प्राप्त कराते हुए प्राप्ति रसीद कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखे।
7. संबधित शिक्षक को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।
8. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा।

Scanned with OKEN Scanner

## कार्यालय : जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक शिक्षा), अल्मोड़ा।

आदेश संख्या – 519 /प्रा0शि0/स्थानान्तरण/4(2)14/2026–27 7 दिनांक 27 अगस्त 2026

**अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण**

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक सेवायें–3/06/3350–54/वार्षिक स्था0/2026–27 दिनांक 14 जुलाई 2026 एवं शासन के पत्रांक 410893/XXX-B-1/2026/13(12)/2011 TC-1 दिनांक 07.07.2026 के अनुपालन में गठित जनपदीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा –17(1)(ख) की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद अल्मोड़ा के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित **सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय** को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में **(विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा कार्मिक तथा वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा अनुरोध)** उसी पद एवं वेतनकम में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ–5 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। **साथ ही एकल अध्यापकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक प्रतिस्थानी के कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे।**

| क्र0 स0 | शिक्षक/शिक्षिका का नाम | पदनाम | वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | श्रीमती जानकी पन्त | स0अ0 | रा0उ0प्रा0वि0 भनोटिया, चौखुटिया | रा0उ0प्रा0वि0 जैनोली, ताड़ीखेत | वरिष्ठ कार्मिक |
| 02 | श्री कवि दत्त रतूड़ी | स0अ0 | रा0उ0प्रा0वि0 बिरकोला, धौलादेवी | रा0उ0प्रा0वि0 त्रिनेली, भैसियाछाना | वरिष्ठ कार्मिक |
| 03 | श्री दीप चन्द्र | स0अ0 | रा0उ0प्रा0वि0 गाजर, स्याल्दे | रा0उ0प्रा0वि0 मल्ला विश्वा, ताड़ीखेत | वरिष्ठ कार्मिक |

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–22 में निहित प्रावधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगीः–

(1) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

(2) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(3) स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थनान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण ओदश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

(4) स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई 2019 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

(डॉ रवि मेहता)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा।

Scanned with OKEN Scanner

पृष्ठांकन संख्या– 2775–81 /प्रा0शि0/स्थानान्तरण/4(2)14/2026–27 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित–

1. जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा।
5. मुख्य कोषाधिकारी/संबधित कोषागार, अल्मोड़ा।
6. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को उक्त शिक्षकों के आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की वे संबधित शिक्षको को आदेश प्राप्त कराते हुए प्राप्ति रसीद कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखे।
7. संबधित शिक्षक को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।
8. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा।

Scanned with OKEN Scanner